न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3562/2005/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

कन्हैयालाल दत्तक पुत्र रामनाथ जाति बलाई निवासी ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक।
श्री आत्माराम शर्मा वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः.6.7.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.4.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद सहायक कलक्टर, शाहपुरा के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती, सीमाबन्दी, घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम रामपुरा स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 583/1 रकबा 10 बीघा वादी के दत्तक पिता रामनाथ के खातेदारी की है। हाल भू प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 582 व 583 के नये खसरा नम्बर 963 लगायत 972 व 1052 कायम किये गये एवं वादी के खातेदारी की भूमि नये खसरा नम्बर 963, 1052 में मिला दिये। अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी को खसरा नम्बर 963 व 1052 में 2.50 हेक्टर का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.3.98 से वादी का वाद

खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 6.5.99 से स्वीकार की जाकर प्रकरण निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 9.3.2000 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसका संशोधित आदेश दिनांक 6.7.2001 को पारित किया। इनके विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.4.2005 से अपील मयाद बाहर होने से खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 9.3.2000 त्रुटिपूर्ण होने से अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 6.7.2001 से हाल खसरा नम्बर 963 के बाबत दावा निरस्त किया गया परन्तु हाल खसरा नम्बर 1052 के बाबत अनियमित रूप से दावा डिक्री किया। विचारण न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर बहुत ही कमजोर एवं आधारहीन है। वादी अपने वाद को साबित नहीं करा सका है। प्रथम अपील देरी से प्रस्तुत की गई परन्तु देरी को माफ करने हेतु अपीलार्थी ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देरी के समुचित कारण अंकित किये गये हैं। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा गया। जिन्होंने प्रकरण का परीक्षण करवाया एवं बाद में तहसीलदार, शाहपुरा को अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया। तहसीलदार प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक एवं प्रशासनिक कारणों से हुई है। अपीलार्थी द्वारा लापरवाही नहीं की गई है। राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालयों ने भी अनेकानेक प्रकरणों में मयाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः न्यायहित में यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 9.3.2000 की निर्णय की दिनांक से ही जानकारी थी जिसके आधार पर ही अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय में रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर संशोधित आदेश दिनांक 6.7.2001 को जारी किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि आलौच्य निर्णय की जानकारी प्रतिवादी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही थी। अपीलार्थी ने धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का समुचित एवं संतोषप्रद कारण नहीं लिखा है। केवल प्रशासनिक कारणों से देरी होना अंकित किया

है जो अनुचित है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि गुणावगुण पर वादी प्रत्यर्थी का प्रकरण मजबूत हैं एवं वादी ने अपने वाद को साबित कराया है। अतः देरी का समुचित एवं संतोषप्रद कारण नहीं होने से देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील को मयाद बाहर मानने में कोई गलती नहीं की है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9.3.2000 से हाल खसरा नम्बर 963 एवं 1052 में 2.50 हेक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया है। इसका रिव्यु किये जाने पर संशोधित आदेश दिनांक 6.7.2001 को जारी किया गया एवं खसरा नम्बर 1052 में 2.50 हेक्टर का खातेदार घोषित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने आलौच्य निर्णय दिनांक 19.4.2005 से अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारिज किया है।

7. यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायलाय के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी राज्य पक्ष की ओर से अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। परन्तु अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थी ने इसका जबाब प्रस्तुत किया है जिसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण प्रशासनिक होना बताया है एवं लापरवाही नहीं होना बताया है।

8. भूमिधारी तहसीलदार, शाहपुरा को वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु जिला कलक्टर से स्वीकृति लेना का कथन किया हैं। जिला कलक्टर प्रकरण का परीक्षण कराते हैं एवं आवश्यक होने पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति/आदेश देते हैं का कथन किया है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कई बार काफी अधिक समय लग जाता है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार के पास प्रशासनिक कार्य भी होते हैं जिनमें भी वे व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष की ओर से अपील प्रस्तुत करने में देरी होना सदभाविक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील प्रस्तुत करने में अपीलार्थी की लापरवाही होना जाहिर नहीं होता है।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर देखने से यह जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.3.98 से वादी का वाद

खारिज किया था। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को इस निर्देश के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 6.5.99 से प्रति प्रेषित किया गया था कि विचारण न्यायालय दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम करे एवं उभयपक्ष को साक्ष्य का अवसर देकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में तनकियात तो कायम की है। परन्तु तनकीवार निर्णय नहीं दिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल अवधि अधिनियम के आधार पर अवधि से बाधित होना मानकर निर्णय दिया है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रख प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णय श्रेयस्कर था। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों एवं प्रकरण की मेरिट को देखते हुए मयाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.4.2005 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में गुणावगुण पर दोनों पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। दोनों पक्षो को निर्देश दिये जाते हैं कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष दिनांक 6.8.2018 को उपस्थित होवें।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष